न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 41/2026 G.C.M.S. No. 2026/108 दर्ज दिनांक : 19.02.2026

अपीलार्थी:

1. मांगीलाल पुत्र जोगराज, जाति महाजन, निवासी बस स्टैण्ड मैन रोड़, वायद, तहसील रोहट, जिला पाली, हाल कोयंबटूर (तमिलनाडु)

बनाम

प्रत्यर्थीगण:

1. अनिल कुमार पुत्र छगनलाल, जाति जैन, निवासी मोहीवाड़ा, तहसील भाद्राजून, जिला जालोर हाल निवासी गिफ्ट मार्ट, डीएसके मार्किंक ओपोजिट, न्यू बस स्टैण्ड रोड़, नंदुरबार, महाराष्ट्र।
2. जीतेन्द्रकुमार जैन पुत्र सुरेशकुमार, जाति महाजन, निवासी मोहीवाड़ा, तहसील भाद्राजून, जिला जालोर हाल निवासी नियर सरक हॉस्पिटल, ओपोजिट पुलिस स्टेशन, नंदुरबार, महाराष्ट्र।
3. भूमिधारी तहसीलदार भाद्राजून, जिला जालोर।

   फॉर्मल पक्षकार:-
4. रमेश कुमार पुत्र रणमल, जाति महाजन, निवासी कल्याण, महाराष्ट्र।
5. लीलादेवी पत्नि रणमल, जाति महाजन, निवासी मोहीवाड़ा, तहसील भाद्राजून, जिला जालोर।
6. स्व. सोहनराज पुत्र जोगराज के का.मु.-

   6/1 कलपेश कुमार पुत्र सोहनराज

   6/2 नीरज कुमार स्व. सोहनराज

   6/3 गीतादेवी पत्नि स्व. सोहनलाल, जातिगण महाजन, निवासीगण -4-583 पुलिस स्टेशन रोड़, ताड़पत्री, अनंतपुर, आन्ध्रप्रदेश, 515411
7. छगनलाल पुत्र जोगराज, जाति महाजन, निवासी हाउसिंग बोर्ड, पाली व तहसील व जिला पाली हाल रायगढ़, महाराष्ट्र।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर आहोर द्वारा राजस्व वाद संख्या 136/2024 बअनवान अनिलकुमार वगैरह बनाम छगनलाल वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 16.07.2025 एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963

पैरोकार:-

1. श्री ओमप्रकाश चौधरी, विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री विक्रम शर्मा, श्री सुभाष गोमतीवाल, श्री घनश्यामसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट संख्या 1 व 2 की ओर से।

निर्णय

दिनांक: 29.05.2026

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर आहोर द्वारा राजस्व वाद संख्या 136/2024 बअनवान अनिलकुमार वगैरह बनाम छगनलाल वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 16.07.2025 के विरूद्ध प्रस्तुत की। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है-

राजस्व अपील प्राधिकारी

यह कि हस्तगत प्रकरण में वादी/रेस्पोंडेण्ट्स संख्या 01 से 02 ने अदालत मातहत के समक्ष सरहद मौजा ग्राम मोहीवाड़ा, पटवार हल्का किशनगढ़, भू.अ.नि. क्षेत्र शंखवाली, तहसील भाद्राजून जिला जालोर के वर्तमान खसरा नम्बर– 138, 140, 141, 146, 147, 148 कुल खसरा 6, कुल रकबा 7.6500 हैक्टेयर, की आराजी रेस्पोंडेण्ट संख्या 01 से 02 व 04 से 07 की व अपीलाण्ट की सामलाती हक, हिस्सा एवं कब्जा काश्त की खातेदारी आई हुई हैं। उक्त आराजी अपीलाण्ट्स व रेस्पोंडेण्ट संख्या–01 से 02 व 04 से 07 के नाम संयुक्त खातेदारी के रूप में दर्ज है। उक्त आराजी के बंटवाडा हेतु तथाकथित खातेदार रेस्पोंडेण्ट संख्या–01 से लगायत 02 ने अपना हक, हिस्सा, बंटवाडा करने हेतु एक दावा बाबत बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा का अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसमें अदालत मातहत द्वारा अपीलाण्ट को बिना सुने एकपक्षीय निर्णय दिया गया है। मातहत अदालत को बाई मिट्स एंड बाउण्ड्स के आधार पर सभी खातेदारों को समान भूमि और रास्ते की आराजी पर सभी को समान रूप से हिस्सा प्रदान करना था, जो कि नहीं किया गया। वादग्रस्त आराजी के संयुक्त खातेदारी की हैं और अपीलाण्ट माफिक मौके पर काश्त करते आ रहे हैं, जबकि रेस्पोंडेण्ट संख्या–01 एवं 02, जिनका उक्त आराजी में कोई कब्जा काश्त नहीं हैं, केवल मात्र उनका नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज इन्द्राज हुआ है। मातहत अदालत ने अपीलाण्ट के नाम से नोटिस जारी किया था, लेकिन अपीलाण्ट मोहीवाडा में निवास नहीं करता है और ना ही रेस्पोंडेण्ट्स संख्या–4 से लगायत 07 मोहीवाडा में निवास करते हैं, उक्त जानकारी रेस्पोंडेण्ट्स संख्या–1 व 2 को भली–भांति थीं, लेकिन उन्होंने जानबूझकर सही पते पेश नहीं किये और मिलीभगत कर तामिल कुनिन्दा ने उक्त नोटिसों को सवार कुनिन्दा से मिलकर गलत सम्पूर्ण कार्यवाही की हैं। प्राथमिक डिक्री के निर्णय जारी होने पर भी पटवारी व आर.आई. द्वारा अपीलाण्ट को मौके पर नहीं बुलाया गया तथा बिना अपीलाण्ट की उपस्थिति के मौका देखा गया। इस प्रकार एकतरफा मौका देखने के बाद मातहत अदालत द्वारा उसके आधार पर प्राथमिक डिक्री जारी की गई तथा प्राथमिक डिक्री के बाद अन्तिम डिक्री भी उसी समय जारी कर दी गई। इस प्रकार रेस्पोंडेण्ट संख्या–01 से लगायत 02 ने सभी अधिकारियों से मिलीभगत कर रूपयों–पैसों के दम पर उक्त निर्णय पारित करवाया है, जो कानून की मंशा के विरूद्ध कुठाराघात है। अपीलाण्ट सीधा–सादा व्यक्ति है, जिसको उक्त विचाराधीन अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत वाद की कोई जानकारी नहीं थी व न ही उनको उक्त वाद में जारी कोई नोटिस प्राप्त हुए हैं। अपीलाण्ट को जब उक्त निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री जारी की, उसके पश्चात् दिनांक 14.11.2025 को मौके पर पेड़ काटने लगे और कब्जा करने जिस पर अपीलाण्ट में देशावर से आकर पता किया, न्यायालय से नकल प्राप्त करने हेतु आवेदन दिनांक 17.11.2025 को किया जो नकले न्यायालय से

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

उसी दिनांक 17.11.2025 को प्राप्त की, फिर दिनांक 25.11.2025 को मातहत अदालत में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 13 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. का पेश किया जिसे भी अदालत मातहत ने दिनांक 11.02.2026 को खारिज कर दिया, जिसकी भी नकले प्राप्त कर अंदर म्याद यह अपील श्रीमान को प्रस्तुत की हैं, फिर भी उक्त अपील पेश करने में ही देरी को कंडोन किये जाने हेतु धारा 5 भारतीय मर्यादा अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय व डिक्री अपास्त फरमावें।

म्याद के बिंदु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट्स व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया।

हमनें प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी एवं उस पर मनन किया तथा पत्रावली एवं संगत विधिक प्रावधानों का अवलोकन किया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण रेस्पोंडेंट संख्या 1 व 2 द्वारा प्रतिवादीगण अपीलांट व दीगर रेस्पोंडेंट्स के विरूद्ध वादग्रस्त अविभाजित सहखातेदारी आराजी का मुताबिक नक्शा शेड्यूल अ अनुसार विभाजन, खातेदारी अधिकारों की घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत वादपत्र प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 16.07.2025 को अंतिम डिक्री किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील दिनांक 18.02.2026 को विलंब के साथ प्रस्तुत की गई।
2. अपीलांट द्वारा विलंबकाल माफ करने के लिए धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलाण्ट सीधा–सादा व्यक्ति है, जिसको उक्त विचाराधीन अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत वाद की कोई जानकारी नहीं थीं व न ही उनको उक्त वाद में जारी कोई नोटिस प्राप्त हुए हैं। अपीलाण्ट को जब उक्त निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री जारी की, उसके पश्चात् दिनांक 14.11.2025 को मौके पर पेड़ काटने लगे और कब्जा करने जिस पर अपीलाण्ट में देशावर से आकर पता किया, न्यायालय से नकल प्राप्त करने हेतु आवेदन दिनांक 17.11.2025 को किया जो नकले न्यायालय से उसी दिनांक 17.11.2025 को प्राप्त की, फिर दिनांक 25.11.2025 को मातहत अदालत में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 13 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. का पेश किया जिसे भी अदालत मातहत ने दिनांक 11.02.2026 को खारिज कर दिया, जिसकी भी नकले प्राप्त कर अंदर स्याद यह अपील श्रीमान को प्रस्तुत की हैं, फिर भी उक्त अपील पेश करने में ही देरी को कंडोन किये जाने हेतु धारा 5 भारतीय मर्यादा अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत है। अतः अपील अपीलांट अंदर स्याद शुमार फरमावें।

राजस्व अपील प्राधिकारी
(...)

3. हमारे विनम्र मत में प्रकरण में दीर्घ विलंब निहित नहीं हैं, अपीलाधीन आदेश अपीलांट की गैर मौजूदगी में एकपक्षीय पारित किया गया है तथा विलंब अपीलांट की लापरवाही या उदासीनता से कारित नहीं किया गया है। साथ ही प्रकरण का निर्णयन कठोर, तकनीकी व प्रक्रियात्मक आधार पर नहीं किया जाकर गुणावगुण पर किया जाना चाहिए। जिसके लिए उभयपक्षकारान को समुचित सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक है। अतः विलंब सद्भाविक व युक्तियुक्त होने के कारण माफ किया जाकर प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती हैं।

4. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका के अंकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 10.02.2025 को प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए पत्रावली साक्ष्य वादी में नियत की गई तथा दिनांक 17.03.2025 को नियत की गई। आदेशिका दिनांक 17.03.2025 को पीठासीन अधिकारी दीगर कार्य में व्यस्त होने के अंकन के साथ पत्रावली दिनांक 25.04.2025 को नियत की गई। तत्पश्चात दिनांक 19.03.2025 को अधिवक्ता वादी के आवश्यक सुनवाई प्रार्थना पत्र पर पत्रावली सुनवाई में ली जाकर साक्ष्य वादी पूर्ण की गई तथा दिनांक 28.04.2025 को प्राथमिक डिक्री की गई तथा तहसीलदार से विभाजन प्रस्ताव तलब किया गया तथा दिनांक 16.07.2025 को अपीलाधीन अंतिम डिक्री पारित की गई।

5. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं वादपत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजीयात खसरा संख्या 138, 140, 141, 146, 147, 148 उभयपक्षकारान की अविभाजित सहखातेदारी आराजी हैं। वादीगण द्वारा खातेदारी अधिकारों की घोषणा, बंटवाड़ा के अनुतोष के साथ उक्त आराजीयात में से वादी संख्या 1 का 1/20 हिस्सा खसरा संख्या 146 नक्शा शैड्यूल अ के मार्क ए, बी, सी, डी अनुसार व वादी संख्या 2 का 1/20 हिस्सा खसरा संख्या 146 में नक्शा शैड्यूल अ के मार्ग सी, डी, ई, एफ अनुसार वादीगण को खातेदार घोषित किया जाकर विभाजन किए जाने की मांग की गई। हमारे विनम्र मत में चूंकि वादपत्र के अवलोकन मात्र से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजीयात उभयपक्षकारान की अविभाजित सहखातेदारी आराजी हैं। अतः सहखातेदारान के विरूद्ध विभाजन का वादपत्र पोषणीय होता है, लेकिन सहखातेदारान के विरूद्ध सहखातेदारी आराजी में से विशिष्ट खसरे के विशिष्ट भाग के खातेदारी अधिकारों का अनुतोष नहीं मांगा जा सकता तथा इस संबंध में वादपत्र घोषणा की सीमा तक पोषणीय नहीं हो सकता। इसके बावजूद विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा वादपत्र पंजीबद्ध कर प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही उपरांत विचारण करते हुए प्राथमिक डिक्री किया गया तथा वादीगण की मांग अनुरूप मुताबिक नक्शा शेड्यूल अ विभाजन प्रस्ताव तलब किया गया। वादीगण द्वारा नक्शा शेड्यूल अ के अनुरूप विशिष्ट भूखंड वादीगण के हिस्से में

राजस्व अपील प्राधिकारी

ही दिया जाए, इस संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कानूनन वादग्रस्त आराजीयात का सहखातेदारान के मध्य बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स अनुसार विभाजन हेतु प्राथमिक डिक्री किया जाना अपेक्षित था। जिसका अभाव पाया गया। इसी प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध विभाजन प्रस्ताव के अवलोकन से स्पष्ट है कि विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार द्वारा तैयार नहीं किया जाकर नायब तहसीलदार भाद्राजून द्वारा तैयार किया गया। तहसील कार्यालय भाद्राजून द्वारा दिनांक 03.06.2025 को दिनांक 20.06.2025 को मौके पर उपस्थिति बाबत कथित नोटिस जारी किया गया। जो अदम तामील प्रस्तुत हुआ। प्रकरण में प्रत्येक सहखातेदार को नोटिस जारी नहीं किया गया। केवल वादीगण को सूचित किया गया तथा केवल वादी की उपस्थिति में कथित विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया तथा मुख्य सड़क मार्ग से लगता हुआ खसरा संख्या 146 की आराजी में से मुख्य सड़क मार्ग की ओर स्थित भाग मुताबिक नक्शा शेड्यूल अ वादीगण को हिस्से में प्रस्तावित किया गया तथा शेष आराजी प्रतिवादीगण के हिस्से में प्रस्तावित की गई। हमारे विनम्र मत में प्रथम तो धारा 53 विभाजन के वादपत्र में न्यायालय द्वारा पारित डिक्री की अनुपालना में राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 18 से 21 की पालना में विभाजन प्रस्ताव तैयार करने के लिए कानूनन तहसीलदार ही सक्षम है। नायब तहसीलदार सहित अन्य कोई भी अधीनस्थ कार्मिक उक्त कार्यवाही के लिए सक्षम नहीं हैं तथा अधीनस्थ न्यायालय या तहसीलदार उक्त कार्य तहसीलदार के अधीनस्थ किसी अन्य राजस्व कर्मचारी, अधिकारी को प्रत्यायोजित नहीं कर सकते। अतः नायब तहसीलदार भाद्राजून द्वारा तैयार विभाजन प्रस्ताव विधिक रूप से क्षेत्राधिकार से परे व कानूनन अप्राधिकृत अधिकारी द्वारा तैयार प्रस्ताव होने से विधिविरूद्ध है तथा ऐसे प्रस्ताव के आधार पर की गई पश्चातवर्ती समस्त कार्यवाही व पारित की गई अंतिम डिक्री दूषित व विधिविरूद्ध होने से काबिल अपास्त है। प्रकरण में सहखातेदारान को मौके पर उपस्थिति बाबत विधिवत सूचित नहीं किया गया। जबकि विभाजन प्रस्ताव तैयार करने के संबंध में जारी आज्ञापक दिशा–निर्देश दिनांक 05.10.2020 के अनुसार ऐसा किया जाना आज्ञापक था। अतः इस कारण भी विभाजन प्रस्ताव दूषित व त्रुटिपूर्ण है। तहसीलदार द्वारा मुताबिक शेड्यूल अ अर्थात वादीगण की मांग के अनुरूप मुख्य सड़क मार्ग से लगता हुआ संपूर्ण भाग केवल वादीगण को प्रस्तावित किया गया। जोकि राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 20 का पूर्णतया उल्लंघन है। इसी प्रकार विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय न तो विभाजन के लिए प्रस्तावित भू–भाग के मौके पर नक्शे तैयार किए गए एवं न ही प्रस्तावित भू–भाग का मौके पर सीमांकन आदि किया गया। अतः ऐसी स्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय नियम 21 की अनुपालना का सर्वथा विचलन पाया गया तथा

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

इसके अभाव में विभाजन प्रस्ताव पूर्णतया विधिविरूद्ध व दूषित हो जाता है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा भी उक्त महत्वपूर्ण आज्ञापक विधिक प्रावधानों व प्रक्रियाओं के विचलन पर गौर नहीं करते हुए अपने विवेक का उपयोग किए बिना न केवल वादीगण की मांग के अनुरूप मुताबिक नक्शा शैड्यूल अ के अनुसार प्राथमिक डिक्री पारित की गई, बल्कि सक्षम अधिकारी द्वारा तैयार नहीं किए जाने के बावजूद, संबंधित सहखातेदारान को सूचित किए बिना एवं नियम 20 व 21 की अनुपालना किए बिना वादीगण की मांग के अनुरूप मुताबिक नक्शा शेड्यूल अ तैयार कथित दूषित व विधिविरूद्ध विभाजन प्रस्ताव के आधार पर उसी के अनुरूप अपीलाधीन निर्णय व अंतिम डिक्री पारित की गई, जो पूर्णतया विधिविरूद्ध दूषित व काबिल अपास्त है।

6. यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भू-अभिलेख अनुसार वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध अपीलाधीन एकपक्षीय डिक्री दिनांक 16.07.2025 प्राप्त करने के उपरांत उसका नामांतरण करवाया जाकर न केवल अमल दरामद करवाया गया, बल्कि तहसीलदार भाद्राजून से दिनांक 10.10.2025 को आवासीय ईकाई प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन भी करवाया गया। उक्त समस्त कार्यवाही अपीलाधीन एकपक्षीय डिक्री दिनांक 16.07.2025 की पश्चातवर्ती कार्यवाही हैं। जोकि सारवान रूप से व प्रत्यक्ष रूप से उक्त डिक्री से आश्रित व आच्छादित है। अतः उक्त डिक्री के विरूद्ध प्रस्तुत हस्तगत अपील में पारित निर्णय से उक्त डिक्री सहित इसकी अनुपालना में व पश्चातवर्ती रूप से की गई समस्त कार्यवाही आच्छादित रहेगी।

7. अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हमारे विनम्र मत में अपील अपीलांट बखूबी साबित होती हैं तथा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधिविरूद्ध व दूषित होने से काबिल अपास्त है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपास्त करते हुए उक्त निर्णय व डिक्री के पश्चातवर्ती समस्त कार्यवाही प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्रभावशून्य होने से व अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के निरअस्तित्व में वादग्रस्त आराजीयात के भू-अभिलेख की अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के ठीक पूर्व की स्थिति बहाल करते हुए प्रकरण विधिनुरूप पुनः निर्णयन के निर्देश के साथ विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने व सारवान होने से स्वीकार की जाती हैं तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर आहोर द्वारा राजस्व वाद संख्या 136/2024 बअनवान अनिलकुमार वगैरह बनाम छगनलाल वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 16.07.2025 को अपास्त कर प्रकरण अधीनस्थ विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ

राजस्व अपील प्राधिकारी
जालौर

प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण उभयपक्षकारान को विधिवत सूचित करवाते हुए संबंधित तहसीलदार से उभयपक्षकारान की उपस्थिति में वादग्रस्त आराजीयात पर तहसीलदार द्वारा स्वयं उपस्थित होकर राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 20 एवं 21 में विहित प्रावधानों तथा इस संबंध में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा पत्र दिनांक 05.10.2020 द्वारा प्रदत्त निर्देशों की अनुपालना करवाते हुए प्रकरण में पुनः विहित प्रारूप में विभाजन प्रस्ताव मय नक्शा प्राप्त कर उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण विधिनुरूप पुनः निर्णित करें। संबंधित तहसीलदार को निर्देशित किया जाता है कि वादग्रस्त आराजीयात के भू–अभिलेख की अपास्त निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 16.07.2025 के ठीक पूर्व की स्थिति बहाल करें। अपास्त निर्णय व डिक्री दिनांक 16.07.2025 की अनुपालना में व इसके पश्चातवर्ती की गई समस्त कार्यवाही अपीलांट्स व प्रतिवादीगण के हितों के विरूद्ध आरंभतः शून्य होगी। उभयपक्षकारान को जरिये अधिवक्तागण पाबंद किया जाता है कि वे असालतन/वकालतन न्यायालय सहायक कलक्टर आहोर में दिनांक 20.07.2026 को पेश हों। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्रेषित किया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 29.05.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुहर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली